

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 17/9/18

सं० सं०-17/ए 1-05/09 - 659/17/स्वा०, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कुल-02 कार्यकारी सह-प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर (लेवल-12 में) एवं प्राध्यापक के पद पर (लेवल-13 में) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या-106 दिनांक-27.01.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत नियमित प्रोन्नति निम्नवत् दी जाती है :-

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	सहा० प्रा० के पद पर नियमित प्रोन्नति की अधि० संख्या एवं तिथि।	सह-प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति तिथि।	प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि।
1	2	3	4	5
1	डा० अनिल कुमार सिंह, कार्यकारी सह-प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग	अधिसूचना सं०-678(17)/ 23.05.2008 द्वारा 24.03.2004 के प्रभाव से।	दि०-12.05.2009 के प्रभाव से	अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात योगदान की तिथि से।
2	डा० (श्रीमती) रानी इन्दिरा सिन्हा, कार्यकारी सह-प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी विभाग	अधिसूचना सं०-633(17)/ 06.08.2010 द्वारा 24.03.2004 के प्रभाव से।	दि०- 07.01.2013 के प्रभाव से	अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात योगदान की तिथि से।


- नवप्रोन्नत प्राध्यापको का पदस्थापन आदेश अलग से निकाला जाएगा।
- प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
- क्रम संख्या वरीयता का द्योतक नहीं है।
- उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017(एस०एल०पी०(सी०) संख्या-29770/2015 से उद्भूत) बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल०पी०ए० संख्या-173/2018, राज्य सरकार बनाम सुशील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 1-05/09 - 659(177)/स्वा० पटना, दिनांक :- 17/9/18

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग
पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


12/09/18

ज्ञापांक :-17/ए 1-05/09 - 659(177)/स्वा० पटना, दिनांक :- 17/9/18

सरकार के अवर सचिव।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12/09/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 1-05/09 - 659(177)/स्वा० पटना, दिनांक :- 17/9/18

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/
संयुक्त सचिव(डा० कौशल किशोर) के निजी सहायक/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 17 एवं
18ए/ आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12/09/18

सरकार के अवर सचिव।